खंडों पर टिप्पण

आय-कर

खंड 2 – विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर आय-कर, निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए कर से प्रभार्य आय पर उद्गृहीत किया जाना है। इसमें आगे वे दरें भी अधिकथित की गई हैं जिन पर आय-कर अधिनियम के अधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान ऐसी आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी और इसमें वे दरें भी दी गई हैं जिन पर वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाएगा, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी या संदाय किया जाएगा और वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए विशेष दशाओं में कर परिकलित और प्रभारित किया जाएगा।

निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए आय-कर की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 1, आय-कर की वे दरें विनिर्दिष्ट करता है जिन पर आय निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए कर के दायित्वाधीन है। ये वे दरें हैं, जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 की पहली अनुसूची के भाग 3 में, वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान "वेतन" से भिन्न आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करता है, जिन पर, "वेतन" से भिन्न आय से वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी। देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, 1 जून, 2005 के पश्चात् सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा उनके साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व और फीस के रूप में वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान आय से स्रोत पर कर की कटौती की दर बीस प्रतिशत से घटाकर दस प्रतिशत की जाएगी। अन्य सभी मामलों में दरें वही हैं जो वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 की पहली अनुसूची के भाग 2 में, वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

इस प्रकार कटौती किए गए कर की रकम में —

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य कुल आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक होता है ;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ; या

(iii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

अधिभार की वृद्धि की जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2005-2006 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर कर की कटौती करने, "अग्रिम कर" की संगणना करने और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें :

विधेयक की पहली अनुसूची का भाग 3, वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए वे दरें, जिन पर "वेतन" शीर्ष के अधीन स्रोत पर आय-कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और वे दरें भी, जिन पर "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है और वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए विशेष दशाओं में आय-कर परिकलित या प्रभारित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करता है।

इस भाग के पैरा क में प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे भाग 3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। ऐसी दशाओं में आय-कर छूट की सीमा बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है। 1,00,000 रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर की नई दरें निम्नानुसार होंगीः—

1,00,001 रुपए से 1,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
1,50,001 रुपए से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

प्रत्येक ऐसी महिला की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान पैंसठ वर्ष की आयु से कम है, छूट की सीमा को 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 1,25,000 रुपए से ऊपर की कुल आय पर आय-कर की नई दरें ऐसी दशाओं में निम्नानुसार होंगीः—

1,25,001 रुपए से 1,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
1,50,001 रुपए से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, छूट की सीमा को 1,50,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा। 1,50,000 रुपए से ऊपर की कुल आय पर आय कर की नई दरें ऐसी दशाओं में निम्नानुसार होंगी :—

1,50,001 रुपए से 2,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
2,50,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

पैरा क आगे यह भी उपबंध करता है कि प्रत्येक ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या प्रत्येक व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में चाहे निगमित हो या नहीं, परिकलित आय-कर की रकम में से, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के अधीन रिबेट की रकम घटा दी जाएगी, और इस प्रकार कम किए गए आय-कर में संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा। तथापि, दस लाख रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर उस आय-कर से अधिक नहीं होगी, जो दस लाख रुपए से अधिक है।

पैरा क में यह उपबंध है कि संगणित आय की रकम में से, आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर की रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार कम किए गए आय-कर में संघ के प्रयोजनों के लिए दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

इस भाग का पैरा ख, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। उन दशाओं में कर की दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। तथापि, कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ग, प्रत्येक फर्म की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। उन दशाओं में कर की दरें पैंतीस प्रतिशत से घटाकर तीस प्रतिशत की जाएंगी। संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार की दर बढ़ाकर दस प्रतिशत की जाएगी।

इस भाग का पैरा घ, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विनिर्दिष्ट करता है। उन दशाओं में कर की दर वही बनी रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं। तथापि, कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इस भाग का पैरा ङ कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विनिर्दिष्ट करता है। देशी कंपनियों की दशा में कर की दर पैंतीस प्रतिशत से घटाकर तीस प्रतिशत कर दी जाएगी। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में कर की दरें वही रहेंगी, जो निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए विनिर्दिष्ट की गई थीं। तथापि, देशी कंपनी से भिन्न कंपनियों की दशा में कर की दर निर्धारण वर्ष 2005-2006 के लिए विनिर्दिष्ट की गई दरों के समान बनी रहेगी। इस प्रकार परिकलित आय-कर की रकम में, प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में संघ के प्रयोजन के लिए ऐसे आय-कर दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ा दिया जाएगा और देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

website: http://indiabudget.nic.in

यह प्रस्ताव है कि संघ के प्रयोजनों के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" के नाम से ज्ञात अतिरिक्त अधिभार आय-कर और अधिभार के ढाई प्रतिशत की दर से उद्‌गृहीत किया जाता रहेगा।

खंड 3 – आय-कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (7), अन्य बातों के साथ, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए "निर्धारिती" शब्द को परिभाषित करता है जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही, उसकी आय के या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की आय के, जिसके बारे में वह व्यक्ति निर्धारणीय है, निर्धारण के लिए की गई है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (7) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि "निर्धारिती" शब्द में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भी सम्मिलित होगा जो ऐसा नियोजक है जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही ऐसे सीमांत फायदों के निर्धारण के लिए की गई है, जिनके संबंध में वह निर्धारणीय है।

यह और प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त धारा में एक नया खंड (23ख) अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि "सीमांत फायदों" से प्रस्तावित नई धारा 115बख में निर्दिष्ट फायदे अभिप्रेत हैं।

उक्त धारा के खंड (42क) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, यह उपबंध करते हैं कि यदि किसी कंपनी के शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कोई अन्य प्रतिभूति या भारतीय यूनिट ट्रस्ट को, यूनिट या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिट बारह मास से अधिक के लिए धारित नहीं की जाती है नहीं है, तो ये आस्तियां अल्पकालिक पूंजी आस्ति की प्रकृति की होंगी। यह प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे बारह मास से अनधिक के लिए धारित जीरो कूपन बंधपत्र को भी अल्पकालिक पूंजी आस्ति माना जा सके।

धारा 2 का खंड (43) "कर" शब्द को परिभाषित करता है। यह भी प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि "कर" शब्द के अंतर्गत प्रस्तावित नई धारा 115बक के अधीन प्रभार्य सीमांत फायदा कर होगा।

उक्त धारा के खंड (47) के अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध "अंतरण" पद को परिभाषित करते हैं। यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (47) में एक नया उपखंड (ivक) अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी जीरो कूपन बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन को भी अंतरण माना जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा में एक नया खंड (48) और उसका एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे "जीरो कूपन बंधपत्र" अभिव्यक्ति को परिभाषित किया जा सके। जीरो कूपन बंधपत्र से 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी किया गया कोई ऐसा बंधपत्र अभिप्रेत है, जिसके संबंध में ऐसी कम्पनी या निधि या पब्लिक सेक्टर उपक्रम से परिपक्वता या मोचन से पूर्व कोई संदाय और फायदा प्राप्त नहीं किया जाता है या प्राप्य नहीं है, और जिसे केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे। यह भी प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण के रूप में यह उपबंध किया जाए कि "अवसंरचना पूंजी कंपनी" या "अवसंरचना पूंजी निधि" अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं, जो धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) और खंड (ख) में क्रमशः उनके हैं।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। पूर्वोक्त धारा के खंड (7), खंड (23ख) और खंड (43) में प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 4 – आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो ऐसी आय से, जो कुल आय में सम्मिलित नहीं है, संबंधित है।

धारा 10 के खंड (4) के उपखंड (ii) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी व्यष्टि की दशा में कोई ऐसी आय, जो उस उपखंड में निर्दिष्ट भारत में किसी बैंक में किसी अनिवासी (विदेशी) खाते में उसके खाते में जमा धन पर ब्याज के रूप में हुई है, उसकी कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं की जाएगी। तथापि उक्त उपखंड (ii) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् उसके अनिवासी (विदेशी) खाते में संदत्त या जमा की गई ब्याज के रूप में ऐसी आय उस व्यष्टि की कुल आय में सम्मिलित की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक का लोप किया जाए।

उक्त धारा के खंड (6खख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी ऐसी भारतीय कंपनी को, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई है या किसी विदेशी राज्य की सरकार या किसी विदेशी उद्यम के साथ किए गए 31 मार्च, 1997 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1999 से पूर्व या 31 मार्च, 2005 के पश्चात् किए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित करार के अधीन वायुयान या वायुयान इंजन के पट्टे पर अर्जित किए जाने के प्रतिफल के रूप में आय व्युत्पन्न होती है (जो पट्टे पर लिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में अतिरिक्त पुर्जों, सुविधाओं या सेवाएं कराने के लिए संदाय से भिन्न है), और ऐसी आय पर कर ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा उस करार के निबंधनों के अधीन केंद्रीय सरकार को संदेय है, संदत्त कर की बाबत छूट दी गई है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (6खख) का संशोधन किया जाए जिससे उक्त छूट को 1 अक्तूबर, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए ऐसे सभी करारों के संबंध में अनुज्ञात किया जाए।

खंड (10घ) के विद्यमान उपबंधों के अधीन जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त किसी राशि को, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में प्राप्त कोई राशि भी है, उस राशि से भिन्न है, जो धारा 80घघ की उपधारा (3) या धारा 80घघक की उपधारा (3) के अधीन प्राप्त की गई है या किसी प्रमुख व्यक्ति बीमा पालिसी के अधीन अथवा 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जारी की गई किसी बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि है, जिसके संबंध में किसी वर्ष के दौरान संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमाकृत पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक हो जाता है, छूट दी जाएगी। उक्त खंड के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि बीमाकृत वास्तविक पूंजी, धारा 88 की उपधारा (2क) के स्पष्टीकरण में उपबंधित रीति में संगणित की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त दूसरे परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि इस उपखंड के प्रयोजन के लिए बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि की संगणना उस रीति में की जानी है, जो धारा 80ग की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में भी उपबंधित है।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जो जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदान, कतिपय साधारण शेयरों या लाभांशों आदि में अभिदान से संबंधित है। अतः खंड (10घ) में प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

धारा 10 के खंड (15) के उपखंड (iv) की मद (चक) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी अनुसूचित बैंक द्वारा किसी अनिवासी को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो धारा 6 की उपधारा (6) के अर्थ में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विदेशी मुद्रा में निक्षेपों पर, वहां जहां बैंक द्वारा ऐसे निक्षेपों का प्रतिग्रहण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित हो, संदेय ब्याज को कुल आय की संगणना करने में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त मद (चक) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस मद के अधीन अनिवासी को या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो मामूली तौर पर निवासी नहीं है, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् ब्याज के रूप में संदेय ऐसी आय पर छूट बनी रहेगी।

खंड (15क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी ऐसे संदाय पर छूट का उपबंध किया गया है जो किसी ऐसी भारतीय कंपनी द्वारा, जो वायुयान के प्रचालन के कारबार में लगी हुई है, वायुयान या कोई वायुयान इंजन किसी विदेशी सरकार या किसी विदेशी उद्यम से किसी करार के अधीन, जो 1 अप्रैल, 1997 और 31 मार्च, 1999 बीच में किया गया करार नहीं है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित है, पट्टे पर अर्जित करने के लिए (पट्टे पर लिए गए वायुयान के प्रचालन के संबंध में अतिरिक्त पुर्जों, सुविधाओं या सेवाओं का उपबंध करने के लिए किसी संदाय से भिन्न है), किया गया है।

उपखंड में यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (15क) का संशोधन किया जाए जिससे कि उक्त छूट को 1 अक्तूबर, 2005 को या उसके पश्चात् किए गए ऐसे सभी करारों के संबंध में वापस ले लिया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तद्‌नुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 5 – आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई उपक्रम, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष से

सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, किसी आर्थिक जोन में पांच वर्ष की अवधि के लिए शतप्रतिशत और आगामी दो वर्षों के लिए पचास प्रतिशत और उसके पश्चात् अगले तीन वर्षों के लिए कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले आरक्षित खाते में जमा लाभों के पचास प्रतिशत की कटौती के लिए पात्र है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10क के अधीन कोई कटौती ऐसे किसी उपक्रम को अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो किसी विशेष आर्थिक जोन में 31 मार्च, 2009 के पश्चात् वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 6 – आय-कर अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है जो वेतन से कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा का विद्यमान खंड (i) ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में जिसकी वेतन से आय पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है, वेतन के चालीस प्रतिशत की या तीस हजार रुपए की, इनमें से जो भी कम हो, कटौती का उपबंध करता है। ऐसे निर्धारिती की दशा में, जिसकी वेतन से आय पांच लाख रुपए से अधिक है, बीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की गई है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का लोप किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 7 – आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है जो "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपखंड (2) के उपखंड (vi) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन "परिलब्धि" के अंतर्गत किसी ऐसे अन्य सीमांत फायदे या सुख-सुविधा का मूल्य है, जो विहित किया जाए।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपखंड (vi) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जाए कि ऐसे किसी अन्य सीमांत फायदे या सुख-सुविधा के मूल्य में, जो विहित किया जाए, ऐसे सीमांत फायदे सम्मिलित नहीं होंगे जो विधेयक के खंड 37 द्वारा अंतःस्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित अध्याय 12ज के अधीन कर से प्रभार्य हैं। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 8 – आय-कर अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जो अवक्षयण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती द्वारा 31 मार्च, 2002 के पश्चात् अर्जित और संस्थापित किसी नई मशीनरी या संयंत्र (पोत और वायुयान से भिन्न) की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर और राशि को और अवक्षयण के कारण कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (iiक) में वर्णित और अवक्षयण की उक्त राशि को पन्द्रह प्रतिशत से बढ़ाकर बीस प्रतिशत किया जाए। यह और प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त खंड (iiक) के पहले परंतुक में, वर्णित नए या पश्चात्वर्ती विस्तारण वाले औद्योगिक उपक्रम से संबंधित शर्तों का लोप किया जाए और खंड (iiक) के तीसरे परंतुक में वर्णित मशीनरी या संयंत्र के ब्यौरे और लेखाकार की रिपोर्ट देने की अपेक्षाओं का भी लोप किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iii) के नीचे स्पष्टीकरण के खंड (2) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि "विक्रीत" के अंतर्गत विनिमय के रूप में अंतरण या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनिवार्य अर्जन भी है किंतु इसके अंतर्गत समामेलन की किसी स्कीम में समामेलक कंपनी द्वारा समामेलित कंपनी को, जहां समामेलित कंपनी भारतीय कंपनी है, किसी आस्ति का अंतरण नहीं है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड का संशोधन किया जाए जिससे कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी कंपनी का, बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (15) में निर्दिष्ट किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन की किसी स्कीम में, जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई है। किसी आस्ति का अंतरण उक्त खंड (2) के परियोजन के लिए "विक्रीत" पद की परिधि के अंतर्गत नहीं आएगा।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 9 – आय-कर अधिनियम की धारा 33कग का संशोधन करने के लिए है जो पोत परिवहन कारबार के लिए आरक्षितियों से संबंधित है।

उक्त धारा की विद्यमान उपधारा (4) में तीन वर्ष की तालाबंद अवधि की समाप्ति के पश्चात्, किसी पोत के विक्रय या अंतरण के संबंध में कार्रवाई करने वाले उपबंध अंतर्विष्ट हैं। जहां कोई कंपनी तीन वर्ष की तालाबंद अवधि के पश्चात् किसी पोत का विक्रय या अंतरण करती है और विक्रय आगमों का उपयोग उस पूर्ववर्ष के अंत से, जिसमें ऐसा विक्रय या अंतरण हुआ था, एक वर्ष की अवधि के भीतर नए पोत का अर्जन करने के प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है, वहां ऐसे विक्रय आगम उस पूर्ववर्ष के, जिसमें उक्त पोत का विक्रय या अंतरण किया गया था, ठीक बाद के निर्धारण वर्ष के लाभ समझे जाएंगे।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (4) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विक्रय आगमों की केवल उतनी रकम को, जितनी आरक्षित लेखा में जमा रकम का प्रतिनिधित्व करती है और जिसका पोत के अर्जन के लिए उपयोग किया गया है, लाभ समझा जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 10 – आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2कख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई कंपनी, जो जैव प्रौद्योगिकी के कारबार में या किन्हीं औषधियों, भेषजियों, इलेक्ट्रानिक उपस्करों, कंप्यूटरों, रसायनों आदि के कारबार में लगी हुई है, वैज्ञानिक अनुसंधान पर अथवा आंतरिक अनुसंधान और विकास सुविधा पर कोई व्यय उपगत करती है (जो किसी भूमि या भवन की लागत के प्रकार का व्यय नहीं है) तो उसे इस प्रकार उपगत व्यय के एक सही एक बटा दो के बराबर राशि की कटौती अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, 31 मार्च, 2005 के पश्चात् उपगत ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (2कख) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के अधीन कटौती 31 मार्च, 2007 तक उपगत किए गए ऐसे व्यय के संबंध में अनुज्ञात की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 11 – आय-कर अधिनियम की धारा 35घघक का संशोधन करने के लिए है, जो स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन उपगत व्यय का क्रमिक अपाकरण करने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां कोई निर्धारिती धारा 10 के खंड (10ग) के अधीन विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार बनाई गई किसी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति स्कीम के अधीन किसी कर्मचारी को किसी पूर्ववर्ष में उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के समय किसी रकम के संदाय के रूप में कोई व्यय उपगत करता है, वहां इस प्रकार संदत्त रकम के एक बटा पांच की कटौती उस पूर्ववर्ष के लिए कारबार के लाभ और अभिलाभ की संगणना करने में की जाएगी और शेष की कटौती चार ठीक उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि पूर्वोक्त उपधारा (1) का संशोधन किया जाए, जिससे कि निर्धारिती द्वारा किसी कर्मचारी को उसकी स्वेच्छया सेवानिवृत्ति के संबंध में संदाय करने में उपगत संपूर्ण व्यय को या तो सेवानिवृत्ति के वर्ष में या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाए, प्रत्येक आंशिक संदाय उस वर्ष से, जिसमें ऐसा आंशिक संदाय कर्मचारी को किया जाता है, प्रारंभ होने वाली पांच समान किश्तों में कटौती का हकदार होगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2004 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2004-2005 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 12 – आय-कर अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध उसके विभिन्न खंडों में उपबंधित रीति में कतिपय कटौतियां अनुज्ञात करते हैं। यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक नया खंड (iiiक) अंतःस्थापित किया जाए जिससे किसी जीरो कूपन बंधपत्र पर,ऐसे बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यथा अनुपात छूट के लिए उस रीति में, जो विहित की जाए, परिकलित कटौती का उपबंध किया जा सके। प्रस्तावित खंड का स्पष्टीकरण "छूट" पद के अर्थ को बंधपत्र के जारी किए जाने पर प्राप्त की गई या प्राप्य रकम और "अवसंरचना कंपनी" या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सैक्टर कंपनी द्वारा जारी किए गए बंधपत्र की परिपक्वता या मोचन पर संदेय रकम के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित करता है। उक्त स्पष्टीकरण "बंधपत्र की परिपक्वता की अवधि", "अवसंरचना पूंजी कंपनी" और "अवसंरचना पूंजी निधि" पदों को भी परिभाषित करता है।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में एक नया खंड अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि निर्धारिती को उसके पूर्ववर्ष के दौरान उसके द्वारा किए गए कराधेय बैंककारी संव्यवहारों पर संदत्त बैंककारी नकद संव्यवहार कर के संबंध में कटौती अनुज्ञात किए जाने का उपबंध किया जा सके। इस खंड के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए "बैंककारी नकद संव्यवहार कर" और "कराधेय बैंककारी संव्यवहार" पदों के वही अर्थ हैं जो उनके क्रमशः वित्त अधिनियम, 2005 के अध्याय 7 में हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 13 – आय-कर अधिनियम की धारा 40 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती न करने योग्य रकमों से संबंधित है।

विधेयक का खंड 37 एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है जो सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित है। प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के खंड (क) में एक नया उपखंड (iग) अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि नया अध्याय 12ज के अधीन सीमांत फायदा कर मद्दे संदत्त किसी राशि की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 14 – आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार या वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (5) के परंतुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय संव्यवहार सट्टेवाले संव्यवहार नहीं समझे जाते हैं।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में व्युत्पन्नों में व्यापार के संबंध में किया गया कोई पात्र संव्यवहार भी कोई सट्टे वाला संव्यवहार नहीं समझा जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन भी कतिपय अभिव्यक्तियों मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज द्वारा पूरी की जाने वाली भर्ती को परिभाषित करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 15 – आय-कर अधिनियम की धारा 47 का संशोधन करने के लिए है जो अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, पूंजी अभिलाभों से संबंधित धारा 45 के प्रयोजन के लिए अंतरण न समझे जाने वाले संव्यवहार का उपबंध है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में एक नया खंड (viकक) और एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई ऐसी बैंककारी कंपनी की ऐसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलन की स्कीम में किसी बैंककारी कंपनी द्वारा किसी बैंककारी संस्था को किसी पूंजी आस्ति के अंतरण का उपबंध किया जा सके। उक्त खंड के स्पष्टीकरण में, प्रस्तावित खंड (viकक) में प्रयुक्त "बैंककारी कंपनी" और "बैंककारी संस्था" पदों के अर्थ को परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से,1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 16 – आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय उपबंधों के प्रति निर्देश से लागत से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, कतिपय पूंजी आस्तियों के अर्जन की लागत, जो उसमें विनिर्दिष्ट रीति में निर्धारिती की संपत्ति हो जाती है, उपबंध है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 49 की उपधारा (1) का संशोधन किया जाए जिससे कि उसके अंतर्गत बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई स्कीम के अधीन किसी बैंककारी कंपनी द्वारा किसी बैंककारी संस्था को किसी पूंजी आस्ति के अंतरण को उसके अंतर्गत लाया जा सके। विधेयक में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। अतः यह संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन, भूतलक्षी रूप से, 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 17 – आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग का संशोधन करने के लिए है, जो पूंजी अभिलाभ पर कतिपय बंधपत्रों में विनिधान न किए जाने के संबंध में है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ को कर से छूट दी जाएगी यदि ऐसा पूंजी अभिलाभ का, अंतरण की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, ऐसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है, जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय आवास बैंक या भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा जारी किए गए तीन वर्ष के पश्चात् उन्मोचनीय कोई बंधपत्र है। यदि पूंजी अभिलाभ के भाग का दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति का अर्जन करने में इस प्रकार विनिधान किया जाता है, तो उसे आनुपातिक छूट उपलब्ध होगी। छूट इस शर्त के अधीन उपलब्ध है कि उक्त दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्तियां न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित की जाती हैं, जिसके न हो सकने पर ऐसे विनिधान के आधार पर अनुज्ञात छूट अननुज्ञात की जाएगी और इस प्रकार अननुज्ञात रकम उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसी दीर्घकालिक आस्तियां विक्रीत की जाती हैं या अन्यथा अंतरित की जाती हैं, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय समझी जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि जहां किसी दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत उक्त धारा 54ङग के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (3) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति की लागत इस धारा के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां ऐसी लागत के प्रतिनिर्देश से आय से कटौती प्रस्तावित धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदान, कतिपय साधारण शेयरों या लाभांशों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 18 – आय-कर अधिनियम की धारा 54ङघ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या यूनिट के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ का कतिपय दशाओं में प्रभारित न किए जाने के संबंध में है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या पारस्परिक निधि की यूनिट या भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाई हैं, अंतरण से उद्भूत होने वाला पूंजी अभिलाभ कर से छूट प्राप्त है, यदि ऐसे पूंजी अभिलाभ का अंतरण की तारीख के पश्चात् छह मास की अवधि के भीतर, जनसाधारण के अभिदान के लिए प्रस्तावित पूंजी के उपयुक्त पुरोधरण के भागरूप साधारण शेयरों में

विनिधान किया जाता है। यदि पूंजी अभिलाभ के भाग का उक्त साधारण शेयरों का अर्जन करने में इस प्रकार विनिधान किया जाता है तो उसे आनुपातिक छूट उपलब्ध होगी। छूट इस शर्त के अधीन रहते हुए उपलब्ध है कि उक्त साधारण शेयर एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए धारित किए जाते हैं, जिसके न हो सकने पर ऐसे विनिधान के आधार पर अनुज्ञात छूट अननुज्ञात की जाएगी और इस प्रकार अननुज्ञात रकम उस पूर्ववर्ष के, जिसमें ऐसे साधारण शेयर विक्रीत किए जाते हैं या अन्यथा अंतरित किए जाते हैं, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य आय समझी जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि जहां किसी विनिर्दिष्ट साधारण शेयरों की लागत उक्त धारा 54ङघ के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय-कर की रकम से कोई कटौती धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (3) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां विनिर्दिष्ट साधारण शेयर आस्ति की लागत उक्त धारा के अधीन छूट के प्रयोजनों के लिए हिसाब में ली गई है, वहां ऐसी लागत के प्रति निर्देश से आय से कटौती धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदान, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरो आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 19 – आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 72कक अंतःस्थापित करने के लिए है जो कुछ दशाओं में बैंककारी कंपनी के समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत और मुजरा किए जाने से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कोई बैंककारी कंपनी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी बैंककारी संस्था के साथ समामेलित हो गई है, वहां समामेलक बैंककारी कंपनी की संचयित हानि और शेष अवक्षयण उस बैंककारी संस्था की हानि या अवक्षयण मोक समझे जाएंगे जिसके साथ बैंककारी कंपनी समामेलित हो गई है और हानि तथा अवक्षयण मोक के मुजरा और अग्रनीत किए जाने से संबंधित आय-कर अधिनियम में अंतर्विष्ट सभी उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित नई धारा का स्पष्टीकरण उस धारा में प्रयुक्त "संचयित हानि", "बैंककारी कंपनी", "बैंककारी संस्था" और "शेष अवक्षयण" पदों को परिभाषित करता है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2005-2006 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 20 – आय-कर अधिनियम की धारा 73 का संशोधन करने के लिए है जो सट्टे के कारबार में हानियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई भी हानि उस निर्धारण वर्ष के जिसके लिए हानि की संगणना पहले की गई थी, ठीक बाद के आठ निर्धारण वर्षों से अधिक के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (4) का संशोधन किया जाए जिससे कि हानि को अग्रनीत करने की अवधि को आठ निर्धारण वर्षों से कम करके चार निर्धारण वर्ष किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 21 – आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने के लिए है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधियों में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदानों के संबंध में कटौतियों से संबंधित हैं।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि किसी व्यष्टि या किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय की संगणना करने में, उक्त धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट स्कीमों या योजनाओं में कर से प्रभार्य आय में से पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त रकमों के संबंध में एक लाख रुपए से अनधिक की कटौती अनुज्ञेय होगी।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बीमा, संविदा या आस्थगित वार्षिकी को प्रभावी करने या प्रवृत्त रखने के लिए पूर्ववर्ष में संदत्त या निक्षिप्त रकम साधारण भविष्य निधि, मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में अभिदाय, जीवन बीमा निगम पारस्परिक निधि की यूनिट संबंधी बीमा योजनाओं में भागीदारी के लिए अभिदान, राष्ट्रीय आवास बैंक की किसी निक्षेप स्कीम में अभिदान, किसी पब्लिक कम्पनी या किसी लोक वित्तीय संस्था के साधारण शेयरों या किसी पात्र पूंजी पुरोधरण का भाग बनने वाले डिबेंचरों में अभिदान, आवास ऋण का भुगतान, ट्यूशन फीस आदि को संदाय के रूप में, प्रस्तावित नई धारा के अधीन कटौती के लिए पात्र होंगे।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करने के लिए है कि उपधारा (2) के उपबंध किसी आस्थगित वार्षिकी की संविदा से भिन्न किसी बीमा पालिसी पर केवल उतने प्रीमियम या किए गए अन्य संदाय को लागू होंगे जो बीमाकृत वास्तविक पूंजी राशि के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं है। यह भी प्रस्ताव है कि प्रस्तावित उपधारा (3) के स्पष्टीकरण द्वारा यह स्पष्ट किया जाए कि किसी ऐसी वास्तविक पूंजी राशि की संगणना करने में वापस लौटाने के लिए करार की गई किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य या बीमाकृत वास्तविक राशि से अधिक बोनस या अन्यथा के रूप में कोई फायदा जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जा सकेगा, हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (4) उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए है जिनके नाम पर विनिधान किया जा सकता है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) दो वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीमा संविदा के या बीमा संविदा के पर्यावसान या पांच वर्ष की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xviii) में निर्दिष्ट गृह सम्पत्ति के अंतरण की दशा में परिणामों का उपबंध करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (6) साधारण शेयरों या डिबेंचरों के अर्जन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के भीतर उनके अंतरण की दशा में परिणामों का उपबंध करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 88 की उपधारा (2) की बीमा, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि, यूनिट संबंधी बीमा योजना आदि प्रस्तावित नई धारा 80ग के अधीन कटौती के लिए पात्र बने रहेंगे।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (8) उक्त नई धारा के प्रयोजनो के लिए कतिपय शब्दों को जैसे अभिदाय, बीमा, प्रतिभूति, अंतरण आदि को, परिभाषित करने के लिए है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 22 – आय-कर अधिनियम की धारा 80गगग का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय पेंशन निधियों में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती को, जो व्यष्टि है, उसकी कुल आय की संगणना करने में उस राशि में से दस हजार रुपए तक की कटौती अनुज्ञात की जाती है जो उसने धारा 10 के खंड (23ककख) में निर्दिष्ट निधि से पेंशन प्राप्त करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमांकक की किसी वार्षिकी योजना के लिए किसी संविदा को प्रभावी करने या प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त की है या निक्षिप्त की है।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम इस धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (3) का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम जिसे इस धारा के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया है, वहां ऐसी रकम के प्रतिनिर्देश से कोई कटौती धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है जो जीवन बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि के संबंध में अभिदान से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 23 – आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार की पेंशन स्कीम में अभिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, ऐसे किसी निर्धारिती को, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है,

केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन उसके खाते में उसके द्वारा संदत्त या निक्षिप्त रकम की उसकी कुल आय की (जो उसके वेतन के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है) संगणना करने में कटौती अनुज्ञात की जाती है। वैसी ही कटौती केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त खाते में अभिदाय की गई रकम के संबंध में भी अनुज्ञात की गई है।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई रिबेट धारा 88 के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (4) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती द्वारा संदत्त या निक्षिप्त कोई रकम उपधारा (1) के अधीन कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई है, वहां ऐसी रकम के प्रति निर्देश से कोई कटौती धारा 80ग के अधीन अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 24 – आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 80गगङ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की सीमा से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 80ग, धारा 80गगग और धारा 80गगघ के अधीन कटौतियों की कुल रकम, किसी भी दशा में, एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 25 – आय-कर अधिनियम की धारा 80ङ को प्रतिस्थापित करने के लिए है जो नई धारा द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए उधार के प्रतिदाय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन उच्चतर शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से उसके द्वारा लिए गए उधार या ऐसे उधार पर ब्याज के प्रतिसंदाय के रूप में पूर्ववर्ष में उसके द्वारा संदत्त किसी रकम की कर से प्रभार्य उसकी आय में से संदत्त किसी रकम मद्दे किसी व्यष्टि को चालीस हजार रुपए की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा को प्रतिस्थापित किया जाए जिससे कि, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया जा सके कि उसकी उच्चतर शिक्षा जारी रखने के प्रयोजनों के लिए किसी वित्तीय संस्था या किसी अनुमोदित पूर्त संस्था से उधार पर केवल ब्याज के संबंध में, उक्त धारा के अधीन कटौती उपलब्ध होगी। यह और प्रस्ताव है कि ऐसे उधार पर ब्याज के संदाय के संबंध में कोई सीमा नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 26 – आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) के खंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कोई उद्यम, जो 1 अप्रैल, 1995 को या उसके पश्चात् किसी अवसंरचना सुविधा का विकास करने या प्रचालन और अनुरक्षण करने या विकास, प्रचालन और अनुरक्षण करने का कारबार कर रहा है, दस वर्ष की अवधि के लिए लाभों पर शतप्रतिशत कटौती के लिए पात्र है। उक्त खंड का उपखंड (क) यह उपबंध करता है कि उपक्रम भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ के स्वामित्वाधीन होगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त उपखंड का संशोधन करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उद्यम भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी कंपनियों या ऐसी कंपनियों के संघ या किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित किसी प्राधिकरण या किसी बोर्ड या किसी निगम या किसी अन्य निकाय के स्वामित्वाधीन होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 27 – आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, ऐसे औद्योगिक उपक्रमों के, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन या शीतागार संयंत्र के प्रचालन में लगे हुए हैं और जम्मू-कश्मीर राज्य में 1 अप्रैल, 1993 से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2005 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान स्थापित किए गए हैं, पांच निर्धारण वर्षों के लिए लाभों से सौ प्रतिशत और तत्पश्चात् आगामी पांच वर्षों के लिए पच्चीस प्रतिशत (किसी कंपनी की दशा में तीस प्रतिशत) की कटौती के लिए उपबंध करती है।

उक्त उपधारा के चौथे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि जम्मू-कश्मीर राज्य में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने और वस्तु या चीजों का विनिर्माण या उत्पादन अथवा शीतागार संयंत्र का प्रचालन प्रारंभ करने के लिए उक्त अवधि का 31 मार्च, 2005 से विस्तार करके 31 मार्च, 2007 तक किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (8क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करने वाली किसी कंपनी को, दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार के लाभ और अभिलाभ की शतप्रतिशत कटौती अनुज्ञात की गई है, यदि ऐसी कंपनी, अन्य बातों के साथ, 1 अप्रैल, 2005 से पूर्व विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

यह प्रस्ताव है कि अनुमोदन प्राप्त करने के लिए समय सीमा का 31 मार्च, 2007 तक विस्तार किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 28 – आय-कर अधिनियम की धारा 80ठ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय प्रतिभूतियों, लाभांशों आदि पर ब्याज की बाबत कटौतियों से संबंधित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 29 – आय-कर अधिनियम की धारा 88 का संशोधन करने के लिए है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, भविष्य निधि में अभिदाय आदि पर कर रिबेट से संबंधित है।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है।

अतः यह प्रस्ताव है कि धारा 88 में एक नई उपधारा (9) अंतःस्थापित की जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन आय-कर की रकम से कोई कटौती किसी निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 30 – आय-कर अधिनियम की धारा 88ख का संशोधन करने के लिए है, जो पैंसठ वर्ष या उससे अधिक के व्यष्टियों की दशा में आय-कर के रिबेट से संबंधित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 31 – आय-कर अधिनियम की धारा 88ग का संशोधन करने के लिए है, जो पैंसठ वर्ष से कम की महिलाओं की दशा में आय-कर का रिबेट से संबंधित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 32 – आय-कर अधिनियम की धारा 88घ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय व्यष्टियों की दशा में आय-कर की रिबेट से संबंधित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 33 – आय-कर अधिनियम की धारा 112 का संशोधन करने के लिए है, जो दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (घ) के नीचे आने वाला परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां ऐसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के, जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट

हैं, अंतरण से उद्‌भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर धारा 48 के दूसरे परंतुक के उपबंधों को प्रभावी करने के पूर्व पूंजी अभिलाभों की रकम के दस प्रतिशत से अधिक है वहां ऐसे आधिक्य को निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक को संशोधित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ये जीरो कूपन बंधपत्र से उद्‌भूत होने वाले दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ को भी लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 34 – आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांशों,, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंध उन दरों के लिए उपबंध करते हैं, जिन पर आय-कर वहां संदाय होगा जहां किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की कुल आय में धारा 44घक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट आय से भिन्न स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में कोई ऐसी आय, जो 31 मार्च,1976 के पश्चात्‌ विदेशी कंपनी द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त की जाती है और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है।

उक्त खंड (ख) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, 31 मई, 1997 को या उसके पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त किया गया स्वामिस्व आय-कर अधिनियम के अधीन तीस प्रतिशत की दर से कराधेय है और जहां ऐसा स्वामिस्व 31 मई, 1997 के पश्चात्‌ किए गए करार के अनुसरण में प्राप्त होता है, वहां वह उस अधिनियम के अधीन बीस प्रतिशत की दर से कराधेय है। 31 मई, 1997 को या उसके पूर्व किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस आय-कर अधिनियम के अधीन तीस प्रतिशत की दर से कराधेय है और जहां तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी फीस 31 मई, 1997 के पश्चात्‌ किए गए करार के अनुसरण में प्राप्त होती है वहां वह उस अधिनियम के अधीन बीस प्रतिशत की दर से कराधेय है।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (1) के उक्त खंड (ख) का संशोधन किया जाए जिससे कि 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात्‌ किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त स्वामिस्व पर उक्त कर की दर को बीस प्रतिशत से घटा कर दस प्रतिशत किया जा सके। यह और प्रस्ताव है कि 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात्‌ किए गए किसी करार के अनुसरण में प्राप्त की गई तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर की दर को बीस प्रतिशत से घटा कर दस प्रतिशत किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 35 – आय-कर अधिनियम की धारा 115जकक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय कंपनियों से संबंधित समझी गई आय पर संदत्त कर की बाबत कर संबंधी मुजरा से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां कर की किसी रकम का निर्धारिती द्वारा जो एक कंपनी है, किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 115जक की उपधारा (1) के अधीन संदाय किया जाता है वहां इस प्रकार संदत्त कर की बाबत मुजरा अनुज्ञात किया जाएगा। धारा 115जक की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए संदत्त कर के और अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसार संगणित उसकी कुल आय पर निर्धारिती द्वारा संदेय कर की रकम के बीच के अंतर पर कर का मुजरा को अनुज्ञात किया जाता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के उपबंधों का संशोधन किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात्‌ आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए किसी कंपनी द्वारा धारा 115जख की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की कोई रकम का संदाय किया जाता है, वहां इस प्रकार संदत्त कर की बाबत मुजरा, उसे धारा 115जख के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा।

यह और प्रस्ताव है कि धारा 115जकक की उपधारा (2) में धारा 115जख का कोई प्रति निर्देश किया जाए।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 36 – आय-कर अधिनियम की धारा 115फघ का संशोधन करने के लिए है, जो अर्हक पोत से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों में, अर्हक पोत का अर्थ अंतर्विष्ट है जिसमें अन्य बातों के साथ "निष्कर्षण पोत" सम्मिलित नहीं है।

यह प्रस्ताव है कि निष्कर्षण पोतों से संबंधित उपर्युक्त धारा के खंड (vii) का लोप किया जाए जिससे कि "निष्कर्षण पोतों" को अर्हक पोत के अर्थान्तर्गत लाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 37 – आय-कर अधिनियम में एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित है। इस अध्याय में धारा 115ब से धारा 115बठ तक 13 धाराएं अंतर्विष्ट हैं।

प्रस्तावित नई धारा 115ब उक्त अध्याय में प्रयुक्त कतिपय पदों को परिभाषित करती है।

सीमांत फायदा कर के प्रभारण से संबंधित प्रस्तावित नई धारा 115बक में यह उपबंध है कि आय-कर अधिनियम के अधीन प्रभारित आय-कर के अतिरिक्त, सीमांत फायदा कर के नाम से एक आय-कर पूर्ववर्ष के दौरान किसी नियोजक द्वारा अपने कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए या उपलब्ध कराए गए समझे गए सीमांत फायदों के संबंध में 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए 30 प्रतिशत की दर से उद्‌गृहीत किया जाएगा। सीमांत फायदा कर, सीमांत फायदों के कुल मूल्य पर प्रभारित किया जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि सीमांत फायदा कर किसी नियोजक द्वारा इस तथ्य को ध्यान में लाए बिना संदेय होगा कि ऐसा नियोजक आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन आय-कर का संदाय करने का दायी नहीं है।

प्रस्तावित नई धारा 115बख सीमांत फायदा पद को परिभाषित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 115बग सीमांत फायदों के मूल्य से संबंधित है। यह सीमांत फायदों के मूल्य को [प्रस्तावित धारा 115बख में विनिर्दिष्ट कतिपय व्ययों की प्रतिशतता के अनुसार] अधिकथित करती है जो सीमांत फायदा कर के उद्‌ग्रहण के प्रयोजन के लिए, सीमांत फायदों के रूप में लिया जाएगा।

प्रस्तावित नई धारा 115बघ सीमांत फायदों की विवरणी से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से, जो कोई नियोजक है, जिसने पूर्ववर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए ऐसे सीमांत फायदों का संदाय किया है या उनके लिए उपबंध किया है, यह अपेक्षा की जाती है कि वह नियत तारीख को या उसके पूर्व निर्धारण अधिकारी को सीमांत फायदों की विवरणी दे। सीमांत फायदों से संबंधित उक्त नई धारा 115बघ में अंतर्विष्ट उपबंध मुख्यतः आय-कर अधिनियम की धारा 139 के अनुसार हैं।

प्रस्तावित नई धारा 115बङ निर्धारण से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि यदि कोई कर या ब्याज धारा 115बघ के अधीन दिए गए सीमांत फायदों की विवरणी के आधार पर, कर या ब्याज के रूप में से अन्यथा संदत्त किसी अग्रिम कर और संदत्त किसी रकम के समायोजन के पश्चात्, देय पाया जाता है, तो इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए निर्धारिती को एक सूचना भेजी जाएगी, जिसे धारा 156 के अधीन जारी की गई मांग की सूचना समझा जाएगा। सीमांत फायदों के निर्धारण से संबंधित उक्त नई धारा 115बङ में अंतर्विष्ट उपबंध मुख्यतः आय-कर अधिनियम की धारा के अनुसार हैं।

प्रस्तावित नई धारा 115बच सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण से संबंधित है यह अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि यदि कोई नियोजक धारा 115बङ के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या विवरणी दे दिए जाने पर, धारा 115बङ की उपधारा (2) के अधीन जारी सूचना के सभी निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो निर्धारण अधिकारी, सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से सीमांत फायदों का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय या निर्धारिती को प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा। सीमांत फायदों के सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से निर्धारण से संबंधित उक्त नई धारा 115बच में अंतर्विष्ट उपबंध मुख्यतः आय-कर अधिनियम की धारा 144 के अनुसार हैं।

प्रस्तावित नई धारा 115बछ निर्धारण से छूट गए सीमांत फायदों से संबंधित है। इसमें अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां निर्धारण अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए कर से प्रभार्य कोई सीमांत फायदा निर्धारण से छूट गया है, वहां वह ऐसे सीमांत फायदे और कर से प्रभार्य किन्हीं अन्य

सीमांत फायदों का भी जो निर्धारण से छूट गए हैं और जो इस धारा के अधीन कार्यवाहियों के अनुक्रम में तत्पश्चात् उसकी जानकारी में आते हैं, निर्धारण या पुनःनिर्धारण कर सकेगा। निर्धारण से बचे सीमांत फायदों से संबंधित उक्त नई धारा 115बछ में अंतर्विष्ट उपबंध मुख्यतः आय-कर अधिनियम की धारा 147 के अनुसार है।

प्रस्तावित नई धारा 115बज वहां सूचना जारी करने से संबंधित है, जहां सीमांत फायदे निर्धारण से छूट गए हैं। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि जहां सीमांत फायदे निर्धारण से छूट गए हैं, वहां धारा 115बछ के अधीन निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने से पूर्व, निर्धारण अधिकारी निर्धारिती पर एक सूचना की तामील करेगा जिसमें उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह विहित समय के भीतर और विहित प्ररूप और रीति में, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, सीमांत फायदे की विवरणी प्रस्तुत करे। तथापि, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अन्त से छह वर्ष के अवसान के बाद सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की जाएगी। यह भी उपबंधित किया गया है कि जहां धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बछ के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए कर दिया गया है, वहां कोई सूचना, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अन्त से चार वर्षों के अवसान के बाद, तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक मुख्य आयुक्त या आयुक्त का, निर्धारण अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों पर यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना जारी करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है।

प्रस्तावित नई धारा 115बझ सीमांत फायदों के संदाय से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि इस तथ्य के होते हुए भी कि सीमांत फायदे के संबंध में नियमित निर्धारण किसी पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष में किया जाना है, ऐसे सीमांत फायदे पर कर, धारा 115बञ के उपबंधों के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम रूप में संदेय होगा।

प्रस्तावित नई धारा 115बञ सीमांत फायदों के संबंध में अग्रिम कर से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि प्रत्येक नियोजक अपने चालू सीमांत फायदे पर अग्रिम कर का संदाय करेगा। वित्तीय वर्ष में संदेय अग्रिम कर की रकम प्रत्येक तिमाही में संदत्त या संदेय सीमांत फायदे के मूल्य की तीस प्रतिशत होगी। अग्रिम कर ऐसी तिमाही के आगामी मास की पंद्रह तारीख को या उससे पूर्व संदेय होगा। यह भी उपबंध किया गया है कि वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के संबंध में संदेय अग्रिम कर का उक्त वित्तीय वर्ष के 15 मार्च को या उससे पूर्व निर्धारिती द्वारा संदाय किया जाएगा। यह भी उपबंध किया गया है कि जहां निर्धारिती किसी तिमाही के लिए अग्रिम कर का संदाय करने में असफल रहता है या जहां उसके द्वारा संदत्त अग्रिम कर उस तिमाही में संदत्त या संदेय सीमांत फायदे के मूल्य के तीस प्रतिशत से कम है, वहां वह उस प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए, जिसके लिए कमी जारी रहती है, उस कम रकम पर एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

प्रस्तावित नई धारा 115बट आय कर की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि जहां धारा 115बघ के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए सीमांत फायदे की विवरणी नियत तारीख के पश्चात् दी जाती है या नहीं दी जाती है, वहां नियोजक नियत तारीख से ठीक अगली तारीख को प्रारंभ होने वाली और विवरणी देने की तारीख को समाप्त होने वाली, या जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है, वहां धारा 115बच के अधीन निर्धारण पूरा होने की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या किसी मास के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा। धारा 115बङ की उपधारा (1) के अधीन या नियमित निर्धारण पर अवधारित या सीमांत फायदा कर की रकम पर, जिसमें से धारा 115बञ के अधीन संदत्त अग्रिम कर घटा दिया गया हो, ब्याज प्रभारित किया जाएगा। सीमांत फायदों की विवरणी देने में व्यतिक्रम के लिए ब्याज से संबंधित उक्त नई धारा 115बट में अंतर्विष्ट उपबंध मुख्यतः आय-कर अधिनियम की धारा 234क के अनुसार है।

प्रस्तावित नई धारा 115बठ आय-कर अधिनियम के अन्य उपबंधों को लागू करने से संबंधित है। यह, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि अध्याय 12ज में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, आय-कर अधिनियम के सभी अन्य उपबंध सीमांत फायदों के संबंध में भी लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 38 – आय-कर अधिनियम की धारा 119 का संशोधन करने के लिए है, जो अधीनस्थ प्राधिकारियों को अनुदेश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन बोर्ड, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के काम के उचित और दक्ष प्रबंध के लिए समय-समय पर उसमें विनिर्दिष्ट धाराओं के उपबंधों में से किसी के शिथिलीकरण के रूप में या अन्यथा साधारण या विशेष आदेश, आय के किसी वर्ग या मामलों के किसी वर्ग की बाबत जारी कर सकेगा जिनमें राजस्व के निर्धारण या संग्रहण या शास्तियां अधिरोपित करने के लिए कार्यवाही आरंभ करने से संबंधित काम में अन्य प्राधिकारियों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्गदर्शनों, सिद्धांतों या प्रक्रियाओं के बारे में निर्धारितियों पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाले निदेश या अनुदेश हों।

यह प्रस्ताव है कि उपखंड (क) का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा धारा 115बघ, 115बङ; 115बच, 115बछ, 115बज, 115बञ, 115बट के उपबंधों के शिथिलीकरण के रूप में ऐसे साधारण या विशेष आदेश भी जारी किए जा सकेंगे।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (2) का संशोधन किया जाए जिससे कि आय-कर अधिनियम में खंड 37 द्वारा नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के पारिणामिक संशोधन के रूप में "आय के किसी वर्ग" शब्दों के स्थान पर, "आय या सीमांत फायदों के किसी वर्ग" शब्द रखे जा सकें।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 39 – आय-कर अधिनियम की धारा 124 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (क) का विद्यमान उपबंध यह उपबंध करता है कि कोई व्यक्ति निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को प्रश्नगत करने का हकदार नहीं होगा, जहां ऐसे व्यक्ति ने उस तारीख से, जिसको उस पर धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई थी, एक मास की समाप्ति के पश्चात् या निर्धारण पूरा होने के पश्चात् इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दी है।

यह प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के खंड (क) का संशोधन किया जाए, जिससे धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन दिए गए सीमांत फायदों की विवरणी के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (ख) का विद्यमान उपखंड यह उपबंधित करता है कि निर्धारण अधिकारी की अधिकारिता को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, जहां विवरणी देने के लिए धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन सूचना द्वारा या धारा 144 के पहले परंतुक के अधीन सूचना द्वारा, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, अनुज्ञात समय की समाप्ति के पश्चात् कोई विवरणी नहीं दी गई है।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा के खंड (ख) का संशोधन किया जाए, जिससे कि विवरणी देने के लिए धारा 115बघ की उपधारा (2) के अधीन या धारा 115बज के अधीन जारी की गई सूचना या धारा 115बच के पहले परंतुक के अधीन किसी सूचना के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 40 – आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी से संबंधित है।

उक्त धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (क) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से, जो कंपनी है, नियत तारीख को या उससे पूर्व विहित प्ररूप में अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है।

यह प्रस्ताव है कि इस खंड का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक फर्म भी नियत तारीख को या उसके पूर्व अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत करेगी।

धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसकी बाबत वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, से अधिक हो जाती

है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विहित प्ररूप में एक विवरणी देगा।

यह प्रस्ताव है कि इस खंड का संशोधन किया जाए जिससे कि फर्म को भी इस खंड की परिधि से अपवर्जित किया जा सके जो पारिणामिक प्रकृति का है।

उक्त धारा 139 की उपधारा (1) के पहले परंतुक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, उसके खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने की अपेक्षा नहीं की गई है, यदि उसमें विनिर्दिष्ट छह शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरी करता है तो उसे अपनी आय की विवरणी देनी होगी। उक्त परंतुक के खंड (iii) में विनिर्दिष्ट ऐसी एक शर्त यह है कि वह व्यक्ति सेलुलर टेलीफोन का, जो लोकल लूप टेलीफोन में बेतार नहीं है, अभिदाता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक के अधीन विवरणी फाइल करने के प्रयोजनों के लिए इस शर्त का लोप किया जाए।

यह और प्रस्ताव है कि धारा 139 की उपधारा (1) की परिधि में ऐसे व्यक्ति को सम्मिलित किया जाए, जिसने पूर्ववर्ष के दौरान अपने विद्युत प्रभार के संबंध में पचास हजार रुपए या अधिक का व्यय उपगत किया है।

पूर्वोक्त उपधारा (1) के तीसरे परंतुक के विद्यमान उपबंध के अधीन, प्रत्येक कंपनी से, प्रत्येक पूर्ववर्ष में अपनी आय या हानि के संबंध में नियत तारीख को या उससे पूर्व विवरणी देने की अपेक्षा की गई है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक का संशोधन किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक फर्म भी नियत तारीख को या उससे पूर्व प्रत्येक वर्ष में अपनी आय या हानि के संबंध में विवरणी प्रस्तुत करेगी।

पूर्वोक्त उपधारा (1) के खंड (ख) के विद्यमान उपबंध के अधीन, कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति से आय की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, यदि उसकी कुल आय या किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह निर्धारणीय है, उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है। यह प्रस्ताव है कि धारा 139 की उपधारा (1) में चौथा परंतुक अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय है, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति है, यदि उसकी कुल आय या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय, जिसके संबंध में वह पूर्ववर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन निर्धारणीय है, धारा 10क, धारा 10ख, धारा 10खक और अध्याय 6क के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, अधिक हो जाती है तो वह नियत तारीख को या उसके पूर्व, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय या ऐसे अन्य व्यक्ति की आय की विहित प्ररूप में और विहित रीति में सत्यापित एक विवरणी, उसमें ऐसी अन्य विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, देगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा 139 की उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां आय की विवरणी के साथ ऐसे कर का, यदि कोई हो, जिसका 1 अप्रैल, 2005 के पश्चात्‌ स्रोत पर काटे जाने का दावा किया गया है, सबूत नहीं है, वहां ऐसी आय की विवरणी को त्रुटिपूर्ण विवरणी नहीं माना जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त तारीख को 1 अप्रैल, 2006 तक विस्तारित किया जाए जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि आय की विवरणी को, यदि उसके साथ ऐसे कर का, यदि कोई हो, जिसका 1 अप्रैल, 2006 के पश्चात्‌ स्रोत पर काटे जाने का दावा किया गया है, सबूत नहीं है, त्रुटिपूर्ण नहीं समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 41 – आय-कर अधिनियम की धारा 139क का संशोधन करने के लिए है, जो स्थायी लेखा संख्यांक से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंधित करते हैं कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय किसी पूर्ववर्ष के दौरान उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है और जिसे कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, विहित समय के भीतर निर्धारण अधिकारी को स्थायी लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए आवेदन करेगा। धारा 139क की उपधारा (7) में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति जिसे नई श्रृंखला के अधीन कोई स्थायी लेखा संख्यांक दिया जा चुका है, अन्य स्थायी लेखा संख्यांक के लिए आवेदन नहीं करेगा, उसे अभिप्राप्त नहीं करेगा या उसे अपने पास नहीं रखेगा।

यह प्रस्ताव है कि उपर्युक्त धारा की उपधारा (1) में एक नया खंड (iv) अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई नियोजक है, जिससे धारा 115बघ के अधीन सीमांत फायदों की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, कोई स्थायी लेखा संख्यांक नहीं दिया गया है, विहित समय के भीतर स्थायी लेखा संख्यांक दिए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा।

यह और प्रस्ताव है कि उपधारा (7) में एक स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करने के लिए अंतःस्थापित किया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसे उपधारा (1) के अधीन स्थायी लेखा संख्यांक दिया गया है, उक्त उपधारा के प्रस्तावित खंड (iक) के अधीन कोई पृथक स्थायी लेखा संख्यांक अभिप्राप्त करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और पहले से दिए गए स्थायी लेखा संख्यांक को सीमांत फायदे कर के संबंध में स्थायी लेखा संख्यांक समझा जाएगा।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 42 – आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा हस्तक्षारित हो, से संबंधित है।

उक्त धारा का विद्यमान उपबंध उन व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट करता है, जो अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत हैं।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में धारा 115बघ के अधीन दिए गए सीमांत फायदों की विवरणी के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जाए।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 43 – आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है, जो स्वतः निर्धारण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन यह उपबंधित किया गया है कि जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले से ही संदत्त किए गए कर की रकम, यदि कोई हो, को हिसाब में लेने के पश्चात्‌, धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 या धारा 153क या धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती विवरणी देने के पूर्व, ऐसे कर का, और साथ ही विवरणी देने में हुए किसी विलंब अथवा अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए संदेय ब्याज का संदाय करने का दायी होगा तथा विवरणी के साथ ऐसे कर और ब्याज के संदाय का सबूत होगा। धारा 140क की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, धारा 234क के अधीन संदेय ब्याज की संगणना, विवरणी में घोषित कुल आय के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी, जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर घटा दिया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन किया जाए, जिससे धारा 115बघ के अधीन दिए गए सीमांत फायदों की किसी विवरणी के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1क) प्रतिस्थापित की जाए जिससे, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बट के अधीन संदेय ब्याज की संगणना विवरणी में घोषित सीमांत फायदों के मूल्य के संबंध में कर की रकम पर की जाएगी, जिसमें से संदत्त अग्रिम कर, यदि कोई हो, घटा दिया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन किया जाए, जिससे कि पूर्वोक्त उपधारा में प्रस्तावित नई धारा 115बङ या धारा 115बच के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 44 – आय-कर अधिनियम की धारा 142 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारण के पूर्व जांच से संबंधित है।

विद्यमान उपबंध की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति पर, जिसने धारा 139 के अधीन विवरणी दी है, ऐसे लेखे या दस्तावेज पेश करने या करवाने के लिए, जिनकी निर्धारण अधिकारी अपेक्षा करे, सूचना की तामील कर सकेगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा में इस अधिनियम की प्रस्तावित धारा 115बघ के अधीन दिए गए सीमांत फायदों की किसी विवरणी के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जाए।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 45 – आय-कर अधिनियम की धारा 153 का संशोधन करने के लिए है, जो निर्धारणों और पुनःनिर्धारणों को पूरा करने के लिए समय की परिसीमा से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित नई धारा 115 बङ या नई धारा 115बच के अधीन निर्धारण का कोई आदेश उस निर्धारण वर्ष के, जिसमें सीमांत फायदे सर्वप्रथम निर्धारणीय थे, अंत से दो वर्ष के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा में उपधारा (1ख) अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारण या पुनःनिर्धारण का कोई आदेश धारा 115बछ के अधीन, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 115बज के अधीन सूचना की तामील की गई थी, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2क) और उपधारा (3) का संशोधन किया जाए, जिससे नई अंतःस्थापित उपधारा (1क) और (1ख) का निर्देश किया जा सके।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 46 – आय-कर अधिनियम की धारा 153ख का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 153क के अधीन निर्धारण पूरा करने के लिए समय-सीमा से संबंधित है।

उक्त धारा 153ख की उपधारा (1) का खंड (क) निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से पूववर्ती छह निर्धारण वर्षों की कुल आय के, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, अंत से दो वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश करने की शक्ति प्रदान करता है। उक्त उपधारा का खंड (ख) निर्धारण अधिकारी को उस पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली जाती है या अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय का, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, अंत से दो वर्ष के भीतर निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश करने की शक्ति प्रदान करता है।

पूर्वोक्त खंड (क) और खंड (ख) में उपबंधित समय-सीमा धारा 153ग में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में, निर्धारण या पुनः निर्धारण करने के लिए भी लागू होती है। यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा 153ख की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) में निर्दिष्ट निर्धारण वर्षों की कुल आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने के लिए समय-सीमा, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा के लिए प्राधिकारों में से अंतिम प्राधिकार को निष्पादित किया गया था, अंत से दो वर्ष या उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां धारा 153ग के अधीन ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंपी जाती हैं, अंत से एक वर्ष, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन आंरभ की गई किसी तलाशी के संबंध में या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में लागू होगा।

खंड 47 – आय-कर अधिनियम की धारा 153ग का संशोधन करने के लिए है, जो किसी अन्य व्यक्ति की आय के निर्धारण से संबंधित है।

धारा 153क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि धारा 132 के अधीन अभिगृहीत या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियां या दस्तावेज या आस्तियां ऐसे व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति की हैं, जिसके मामले में धारा 132 के अधीन तलाशी या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई थी तो वह उन्हें ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को सौंप देगा और निर्धारण अधिकारी ऐसे अन्य व्यक्ति के संबंध में धारा 153क के अधीन कार्रवाई करेगा। धारा 153क का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त धारा में निर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि के अंतर्गत आने वाले किसी निर्धारण वर्ष से संबंधित किसी निर्धारण या पुनःनिर्धारण का, यदि कोई हो, यथास्थिति, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख को लंबित होने पर उपशमन हो जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे अन्य व्यक्ति की दशा में धारा 153क के दूसरे परंतुक में, धारा 132 के अधीन तलाशी आरंभ करने या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा करने की तारीख के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियों या दस्तावेजों या आस्तियों को प्राप्त करने की तारीख के प्रति निर्देश है।

यह और प्रस्ताव है कि एक नई उपधारा (2) अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस पूर्व वर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132(क) के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अन्य व्यक्ति की दशा में, जहां (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी नहीं दी गई है और धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन उसको कोई सूचना जारी नहीं की गई है ; या (ख) ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा आय की विवरणी दी गई है किंतु धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन किसी सूचना की तामील नहीं की गई है और धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना तामील करने की परिसीमा समाप्त हो गई है ; या (ग) निर्धारण या पुनःनिर्धारण, यदि कोई हो, ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां प्राप्त करने की तारीख से पूर्व किया गया है, वहां ऐसा निर्धारण अधिकारी, उस व्यक्ति को सूचना जारी करेगा और धारा 153ग में उपबंधित रीति में ऐसे निर्धारण वर्ष के लिए उस अन्य व्यक्ति की कुल आय का निर्धारण या पुनः निर्धारण करेगा। प्रस्तावित नई उपधारा (2) के उपबंध वहां लागू होंगे जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अभिगृहीत या अध्यपेक्षित लेखा बहियां, दस्तावेज या आस्तियां ऐसे अन्य व्यक्ति पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली जाती है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की जाती है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख के पश्चात् प्राप्त की जाती है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार 31 मई, 2003 के पश्चात् धारा 132 के अधीन आंरभ की गई किसी तलाशी के संबंध में या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षित लेखा बहियां, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में लागू होगा।

खंड 48 – आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के विद्यमान उपबंध यह हैं कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध कतिपय आय या प्राप्तियों के संबंध में लागू नहीं होंगे। यह प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा (3) का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के उपबंध, 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात्, अवसंरचना पूंजी कंपनी या अवसंरचना पूंजी निधि या पब्लिक सेक्टर कंपनी द्वारा जारी किए गए जीरो कूपन बंधपत्र के संबंध में संदत्त या संदेय आय के संबंध में लागू नहीं होंगे। यह भी प्रस्ताव है कि उपधारा (3) के स्पष्टीकरण का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "अवसंरचना पूंजी कंपनी" और "अवसंरचना पूंजी अभिलाभ" पदों के वही अर्थ हैं जो धारा 10 के खंड (23छ) के स्पष्टीकरण 1 के क्रमशः खंड (क) और खंड (ख) में उनके हैं।

यह संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 49 – आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है, जो ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों को संदायों पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) के खंड (i) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, यह उपबंध करते हैं कि पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी जहां, किसी ऐसी राशि की रकम से, जो ठेकेदार या उप-ठेकेदार के खाते में जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, यदि ऐसी जमा की गई या संदत्त की गई राशि बीस हजार रूपए से अधिक नहीं है तो कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी। तथापि, जहां ऐसी जमा की गई या संदत्त की गई राशि या जिसके जमा किए जाने या संदत्त किए जाने की संभावना है, का योग वित्तीय वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक होता है तो, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट ऐसी राशियों का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त खंड (i) का संशोधन किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी उप-ठेकेदार को, जो कोई व्यष्टि है, और पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय उसके स्वामित्वाधीन दो से अधिक माल वाहन नहीं हैं, माल वाहनो के चलाने, भाड़े पर देने या पट्टे पर देने के कारबार के अनुक्रम के दौरान संदत्त रकम पर स्रोत से कर की कटौती नहीं की जाएगी। ऐसे उप-ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उस व्यक्ति को जो ऐसी रकम का संदाय कर रहा है या उसे जमा कर रहा है, ऐसी घोषणा प्रस्तुत करे जो विहित की जाए। उप-ठेकेदार को संदाय करने वाला व्यक्ति आय-कर प्राधिकारी को विहित प्ररूप में और विहित समय के भीतर विहित विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 50 – आय-कर अधिनियम की धारा 199 का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर की बाबत जमा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय किए गए तथा धारा 203कक में निर्दिष्ट विवरण में विनिर्दिष्ट कर की रकम को, उस व्यक्ति की ओर से, जिससे कर की रकम की कटौती की गई है, संदत्त कर के रूप में माना जाएगा और निर्धारण में प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए बिना उसे मुजरा दिया जाएगा।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि कटौती किए गए और केन्द्रीय सरकार को संदाय किए गए कर की रकम के लिए मुजरा, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् और 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व कटौती किए गए कर के संबंध में दिए गए कर कटौती प्रमाणपत्र के आधार पर भी अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 51 – आय-कर अधिनियम की धारा 203 का संशोधन करने के लिए है, जो कर के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

उपधारा (3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कटौती किए गए या संदत्त किए गए कर के लिए उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं होगी।

यह प्रस्ताव है कि उक्त तारीख को 1 अप्रैल, 2006 तक विस्तारित किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस दशा में जहां कर की कटौती या उसका संदाय, 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् किया गया है वहां उस व्यक्ति से, जिससे कटौती की गई है, स्रोत पर की गई कर की कटौती का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 52 – आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 206क अंतःस्थापित करने के लिए है, जो कर की कटौती के बिना निवासियों को ब्याज के संदाय के संबंध में तिमाही विवरणी के दिए जाने से संबंधित है।

प्रस्तावित नई धारा 206क यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (i) के परंतुक में निर्दिष्ट कोई बैंककारी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या पब्लिक कंपनी, जो ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न) के रूप में पांच हजार रुपए से अनधिक किसी आय का, किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तिमाही विवरणियां तैयार करेगी तथा यथा पूर्वोक्त तिमाही विवरणियां ऐसी रीति में सत्यापित करा कर और ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करेगी या परिदत्त कराएगी।

यह और उपबंध किया जाता है कि केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में वर्णित किसी व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति से, जो अध्याय 17 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती के लिए दायी किसी आय का किसी निवासी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, अपेक्षा कर सकेगी कि वह विहित प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित कराकर और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किसी फ्लापी, डिस्कैट, मैग्नेटिक कार्ट्रिज टेप, सीडी रोम या किसी अन्य कंप्यूटर पठनीय माध्यम पर तिमाही विवरणियां तैयार करे और उसे विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को परिदत्त करे या परिदत्त कराए।

यह संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 53 – आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (4) के परन्तुक में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, संगृहीत कर की रकम के लिए मुजरा, उस व्यक्ति को अनुज्ञात किया गया है, जिसकी ओर से पूर्वोक्त धारा की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट वार्षिक विवरण में विनिर्दिष्ट रकम के आधार पर 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् कर संगृहीत किया गया है और स्रोत पर संगृहीत कर के मुजरे का दावा करने के लिए आय की विवरणी के साथ कर के संग्रहण के प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की गई है। धारा 206ग की उपधारा (5) का पहला परंतुक कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति से, 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात् संगृहीत करों के लिए कर संग्रहण कराने वाले व्यक्ति को प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा नहीं करता है।

प्रस्तावित संशोधन यह उपबंध करने के लिए है कि 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् करों से संबंधित निर्धारण में स्रोत पर संगृहीत कर के लिए मुजरे का दावा करने के लिए आय की विवरणी के साथ कर संग्रहण प्रमाणपत्र का प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं है और 1 अप्रैल, 2006 को या उसके पश्चात् संगृहीत करों के संबंध में कर संग्रहण करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 54 – आय-कर अधिनियम की धारा 238 का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय विशेष दशाओं में प्रतिदाय का दावा करने के लिए हकदार व्यक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि जहां एक व्यक्ति की आय इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी अन्य व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित की जाती है, वहां ऐसी आय की बाबत प्रतिदाय का हकदार केवल पश्चात्‌वर्ती व्यक्ति ही होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित की जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां एक नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय सीमांत फायदे, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी अन्य नियोजक द्वारा संदत्त या संदेय कुल सीमांत फायदों में सम्मिलित किए जाते हैं, वहां ऐसे सीमांत फायदों की बाबत इस अध्याय के अधीन प्रतिदाय का हकदार केवल पश्चात्‌वर्ती नियोजक ही होगा।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 55 – आय-कर अधिनियम की धारा 239 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिदाय के लिए दावे का प्ररूप और परिसीमा से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन प्रतिदाय के लिए प्रत्येक दावा निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) में नया खंड (घ) अंतःस्थापित किया जाए, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2006 से आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारणीय सीमांत फायदों के संबंध में प्रतिदाय के लिए दावा ऐसे निर्धारण वर्ष के अंतिम दिन से एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 56 – आय-कर अधिनियम की धारा 244क का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिदायों पर ब्याज से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जहां अधिनियम के अधीन किसी रकम का प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो जाता है, वहां निर्धारिती, उक्त रकम के अतिरिक्त, उस पर प्रत्येक मास के लिए या किसी मास के भाग के लिए, जिसमें उक्त धारा के अधीन विनिर्दिष्ट विलंब की अवधि समाविष्ट है, आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। उपधारा (4) में यह उपबंध है कि इस धारा के उपबंध, 1 अप्रैल, 1989 से प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए, जिससे प्रस्तावित नई धारा 115बञ के अधीन संदत्त किसी कर के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके और यह भी उपबंध किया जा सके कि सीमांत फायदों के निर्धारण के संबंध में इस धारा के उपबंध 1 अप्रैल, 2006 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

यह भी प्रस्ताव है कि धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बच या धारा 115बछ के अधीन किसी आदेश के प्रति निर्देश को धारा 244क की उपधारा (3) में सम्मिलित किया जाए।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 57 – आय-कर अधिनियम की धारा 246क का संशोधन करने के लिए है, जो आयुक्त (अपील) के समक्ष अपीलीय आदेशों से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, अधिनियम की धारा 143(3), धारा 147, धारा 150 आदि के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध आयुक्त (अपील) को निर्धारिती द्वारा अपील करने के लिए उपबंध करता है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) में दो नए उपखंड (कक) और (कख) अंतःस्थापित किए जाएं, जिससे कि किसी निर्धारिती द्वारा, जो नियोजक है, प्रस्तावित नई धारा 115बङ की उपधारा (3) या धारा 115बच के अधीन निर्धारण के किसी आदेश में निर्धारित सीमांत फायदों के मूल्य के विरुद्ध या धारा 115बछ के अधीन निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील करने का उपबंध किया जा सके।

यह और प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ञ) के उपखंड (आ) का संशोधन किया जाए, जिससे कि धारा 271चख के अधीन किसी आदेश के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

विधेयक का खंड 37 सीमांत फायदों पर आय-कर से संबंधित एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 58 – आय-कर अधिनियम की धारा 271 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणियां न देने, सूचनाओं का अनुपालन न करने, आय आदि के छिपाने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) का इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने धारा 142 की उपधारा (1) या धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना का अनुपालन नहीं किया है या उसने उक्त अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन किए गए निदेश का अनुपालन नहीं किया है, तो वह यह निर्दिष्ट कर सकेगा कि ऐसा व्यक्ति, उसके द्वारा संदेय किसी कर के अतिरिक्त, शास्ति के रूप में ऐसी राशि का, जो प्रत्येक ऐसी असफलता के लिए दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, संदाय करेगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए, जिससे उसमें प्रस्तावित नई धारा 115बघ की उपधारा (2) और धारा 115बङ की उपधारा (2) के प्रति निर्देश को सम्मिलित किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि धारा 271 में आय के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह आय या सीमान्त फायदों के प्रति निर्देश है और इस धारा के उपबंध सीमान्त फायदों से संबंधित किसी निर्धारण के संबंध में भी लागू होंगे।

विधेयक का खंड 37 एक नए अध्याय 12ज को अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमान्त फायदों पर आय-कर से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रवृत्ति के हैं।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 59 – आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271चख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमान्त फायदा कर की विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि जहां कोई नियोजक, जिससे प्रस्तावित नई धारा 115बघ की उपधारा (1) के अधीन सीमान्त फायदों की विवरणी देने की अपेक्षा की गई है, विहित समय के भीतर ऐसी विवरणी देने में असफल रहता है तो वह प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में एक सौ रुपए की राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा।

विधेयक का खंड 37 एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमान्त फायदों पर आय-कर से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 60 – आय-कर अधिनियम की धारा 272क का संशोधन करने के लिए है, जो प्रश्नों का उत्तर देने, कथन पर हस्ताक्षर करने, जानकारी, विवरणियां या कथन देने, निरीक्षण अनुज्ञात करने, आदि में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा की उपधारा (2) में एक नया खंड (ठ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया कोई व्यक्ति धारा 206क की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर तिमाही रिपोर्ट परिदत्त करने या कराने में असफल रहता है, वहां वह शास्ति के रूप में, ऐसे व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की राशि का संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2005 से प्रभावी होगा।

खंड 61 – आय-कर अधिनियम की धारा 273ख का संशोधन करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में शास्ति अधिरोपित न किए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, ये उपबंध हैं कि धारा 271क, धारा 271ख, धारा 271ग, धारा 271घ, धारा 271च, आदि के अधीन किसी व्यक्ति पर कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त हेतुक था।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में नई धारा 271चख के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 37 एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमान्त फायदों पर आय-कर से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 62 – आय-कर अधिनियम की धारा 276गग का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरणी देने में असफल रहने से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति धारा 139 की उपधारा (1) या धारा 148 के अधीन नियत समय के भीतर आय की विवरणी देने में जानबूझ कर असफल रहेगा तो वह ऐसे मामले में, जहां अपवंचित कर, शास्ति या ब्याज की रकम एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

प्रस्तावित संशोधन उक्त धारा में प्रस्तावित नई धारा 115बघ की उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा धारा 115बज के प्रति निर्देश को सम्मिलित करने के लिए है।

विधेयक का खंड 37 एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमान्त फायदों पर आय-कर से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

खंड 63 – आय-कर अधिनियम की धारा 278 का संशोधन करने के लिए है, जो मिथ्या विवरणी, आदि के दुष्प्रेरण से संबंधित है।

उक्त धारा में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसा लेखा या कथन या घोषणा देने और परिदत्त करने के लिए, जो मिथ्या है, किसी अन्य व्यक्ति को दुष्प्रेरित या उत्प्रेरित करेगा तो वह ऐसे मामले में, जहां अपवंचित कर, शास्ति या ब्याज की रकम एक लाख रुपए से अधिक है, वहां कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किंतु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा का संशोधन किया जाए, जिससे कि "कर से प्रभार्य किसी आय" शब्दों के स्थान पर, "कर से प्रभार्य किसी आय या किसी सीमान्त फायदे" शब्द रखे जा सकें।

विधेयक का खंड 37 एक नया अध्याय 12ज अंतःस्थापित करने के लिए है, जो सीमान्त फायदों पर आय-कर से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

खंड 64 – आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है, जो बोर्ड की नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।

यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ङ) का लोप किया जाए, जो धारा 80ग की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन विहित की जाने वाली प्रतिशतता या रकम से संबंधित है।

विधेयक का खंड 21 एक नई धारा 80ग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो जीवन बीमा प्रीमियम, आस्थगित वार्षिकी, भविष्य निधि में अभिदाय, कतिपय साधारण शेयरों या डिबेंचरों आदि में अभिदान के संबंध में कटौती से संबंधित है। अतः प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2006 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2006-2007 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।